

प्लेक्सकनेक्ट 2026 - वार्षिक रिटर्न (ARR) तैयार करने और दाखिल करने पर वेबिनार (वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25)



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEX/WEBINAR/139

दिनांक: 08.05.2026

को,
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए के सभी सदस्य
प्लास्टिक उद्योग के सभी सदस्य

वार्षिक रोडटेप रिटर्न (एआरआर) पर वेबिनार - तैयारी और दाखिल करना (वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25)
दिनांक: 15.05.2026 (शुक्रवार) | समय: दोपहर 3.50 बजे से शाम 5.30 बजे तक | वर्चुअल प्लेटफॉर्म: सिस्को वेबएक्स

प्रिय महोदय/महोदया,

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकौन्सिल) की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

जैसा कि आप जानते हैं, निर्यातकों के लिए आरओडीटीपी योजना के तहत निर्बाध रूप से लाभ प्राप्त करते रहने के लिए वार्षिक आरओडीटीपी रिटर्न (एआरआर) समय पर दाखिल करना आवश्यक है। जिन निर्यातकों के 8-अंकीय एचएस कोड के तहत वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान संचयी आरओडीटीपी दावे ₹1 करोड़ से अधिक हैं, उन्हें परिशिष्ट 4 आरआर प्रारूप में एआरआर दाखिल करना अनिवार्य है।

लागू डीजीएफटी प्रावधानों के अनुसार:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एआरआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 थी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भुगतान की विस्तारित अंतिम तिथि 30 जून 2026 है।

इसके अलावा, डीटीईपी योजना को डीटीए, एए, एसईजेड और ईओयू इकाइयों से पात्र निर्यात के लिए दरों और मूल्य सीमा में बिना किसी बदलाव के 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

कैसे फाइल करना होगा?

जिन निर्यातकों के 8-अंकीय एचएस कोडों में वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान संचयी आरओडीटीपी दावे ₹1 करोड़ से अधिक हैं, उन्हें परिशिष्ट 4 आरआर प्रारूप में वार्षिक आरओडीटीपी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

फाइलिंग क्यों महत्वपूर्ण है?

- RoDTEP के लाभ अस्वीकार किए जा सकते हैं
सीमा शुल्क संबंधी रसीद/स्क्रिप जारी करने पर रोक लगाई जा सकती है।
- आवेदन जमा करने में देरी होने पर विलंब शुल्क लग सकता है।
- एआरआर अनुपालन पूरा होने तक दावे अवरुद्ध रह सकते हैं

निर्यातकों को प्रयोज्यता ढांचा, सुलह प्रक्रिया, फाइलिंग पद्धति और अनुपालन आवश्यकताओं को समझने में मदद करने के लिए, PLEXCONCIL एक व्यावहारिक उद्योग-केंद्रित वेबिनार का आयोजन कर रहा है।

यह सत्र इनके द्वारा संचालित किया जाएगा:

वक्ता: सीए ईशान तुलसियान, आर. तुलसियान एंड कंपनी एलएलपी में पार्टनर। आर. तुलसियान एंड कंपनी एलएलपी छह दशक पुरानी बहुराष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है जिसकी उपस्थिति भारत, भूटान, अमेरिका, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में है।

प्रस्तावित उद्देश्य एजेंडा:

1. प्रयोज्यता ढांचा एवं रिपोर्टिंग आवश्यकता
2. शिपिंग बिल / ICEGATE डेटा का मिलान
3. दस्तावेज़ीकरण मानक और सामान्य त्रुटियाँ
4. जोखिम वाले क्षेत्र, विलंब शुल्क के निहितार्थ और अनुपालन संबंधी जोखिम
5. चरण-दर-चरण फाइलिंग प्रक्रिया और लाइव व्यावहारिक मार्गदर्शन
6. केस स्टडी आधारित शिक्षण और अनुपालन चेकलिस्ट
7. प्रश्नोत्तर और व्यावहारिक समस्या समाधान

वेबिनार की जानकारी:

दिनांक : 15 मई 2026
समय: दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक
मोड: वर्चुअल

पंजीकरण लिंक:

<https://theplastics.webex.com/weblink/register/rcb1453e5a3743d4d1f25339397c7c719>

(भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं)

किसी भी सहायता या पूछताछ के लिए, कृपया बेझिझक संपर्क करें:

सुश्री शिल्पा तटकरे
दूरभाष: +91-22-4017 0000
ईमेल: shilpa@plexconcil.org

आपसे अनुरोध है कि आप इस संदेश को अपने संगठन के संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करें।

सम्मान

श्रीबाश दासमोहपात्रा
कार्यकारी निदेशक
डीआईएन: 02587694
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)
डायनेस्टी बिजनेस पार्क, बी विंग, भूतल
अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व
मुंबई - 400 059 - भारत
फ़ोन: +91 22 40170000

हमारे पर का पालन करें:

फेसबुक: यहां क्लिक करें इंस्टाग्राम: यहां क्लिक करें लिंकडइन: यहां क्लिक करें यूट्यूब: यहां क्लिक करें इंटरनेट: यहां क्लिक करें